न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी :– अशोक सांगवा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–75 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, घड़साना .....प्रार्थी

बनाम

सुन्दरलाल पुत्र उतमाराम कौम राजपूत साकिन 2 पी एस डी ए तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ ..... अप्रार्थी

रैफरेंस अर्न्तगत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थितः–

1. पैरोकार राज, राज्य पक्ष की ओर से ।
2. श्री प्रेमचन्द अतरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से ।

।। निर्णय।। दिनांकः– 17/10/24

उपरोक्त प्रकरण के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार राजस्व घड़साना द्वारा रेफरैंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत पेश किया गया कि जमाबन्दी के अनुसार ग्राम मीरगढ़ के ख.सं. 07 की 02 बीघा 13 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन जोहड़ / जोहड़ पायतन दर्ज है। सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आंवटन अधिकारी घड़साना मुकाम अनूपगढ़ के आदेश क्रमांक 635 दिनांक 21.12.1974 के द्वारा चक 2 पी एस डी ए का पत्थर नं. 210 / 46 का किला नं. 10, 11 कुल 0.506 हैक्टयर भूमि आवंटन पश्चात जमाबंदी में अप्रार्थी सुन्दरलाल पुत्र उतमाराम कौम राजपूत साकिन 2 पी एस डी ए तहसील घड़साना के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि की किस्म जोहड़ दर्ज थी जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। अतः रैफरैंस स्वीकार करते हुए आवंटित उक्त भूमि को निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड़ दर्ज किया जावे।

रैफरेन्स पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री प्रेमचन्द अतरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया कि उक्त भूमि जोहड़ पायतन दर्ज हो सकती हे। लेकिन इस भूमि का कभी भी उपयोग एवं उपभोग जोहड पायतन के रूप में किसी के द्वारा कभी नही किया गया है और ना ही इस भूमि का स्वरूप जोहड़ के रूप में कभी रहा। राजस्थान केनाल परियोजना वर्तमान नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण होने से पूर्व इस क्षेत्र की भूमि खसरा नम्बर में थी जिसे नहर का निर्माण होने से पूर्व राजस्व अभिलेख की सुविधा के लिए चकबन्दी व मुरब्बा बन्दी में पैमूद किया गया जिसके लिए सर्वप्रथम सूची नं 04 तैयार की गई सूची नं 04 से ही इस तथ्य का ज्ञान होता है कि अमूक खसरा नं. की भूमि अमूक चक नं व मुन. में पैमूद हुई है। प्रार्थी द्वारा इस तथ्य को दस्तावेजी सबूत से साबित नहीं किया कि वर्णित कृषि भूमि में वर्णित खसरा नं की कृषि भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 भूमि के खातेदारी अधिकार प्रोधभूत नहीं होने से सम्बन्धित है। धारा 16 अन्यथा भी भूमि का आवंटन करने को प्रतिबन्धित नहीं करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण होने पर विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को कृषि भूमि पुख्ता आवंटन करने के लिए वर्ष 1971 व 1972 और 1975 में आवंटन नियम राज्य सरकार द्वारा बनाये गये एवं इन नियमों के अन्तर्गत जो कृषि भूमि काश्त करने योगय थी उसे ही आवंटन हेतु आरक्षित किया गया। वर्ष 1971 से पूर्व भी कृषि भूमि काश्त करने योगय थी आराजी काश्त पर एवं पुख्ता आवंटन भी विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को इस क्षेत्र में वर्ष 1961–1962 से ही सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाती रही है। प्रश्नगत कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग कभी भी जोहड पायतन के लिए नहीं किया गया और यह कृषि योग्य थी इसलिए ही आवंटन हेतु आरक्षित कर आवंटन नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार आवंटन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान मुकाम

जयपुर पीठ द्वारा रिट याचिका एस बी सिविल रिट पैटीशन नं 11153/2011 में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 का गम्भीरता पूर्वक मनन एवं विश्लेषण नही कर आनन फानन में राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव(राजस्व) द्वारा पत्र क्रमांक पं 10(3)राज–6/2001–पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 तदउपरान्त पत्र क्रमांक प. 3(146)राज.7/2011 दिनांक 05.07.2012 को राजस्थान के समस्त जिला कलक्टर को जारी किये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान मुकाम जयपुर पीठ द्वारा रिट याचिका एस बी सिविल रिट पैटीशन नं 11153/2011 अनवान सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान मुकाम जोधपुर द्वारा डी बी सिविल रिट पैटीशन नं 1536/2003 अनवान अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑक राजस्थान जिसका आदेश दिनांक 02.08.2004 पारित किया गया है। आदेश दिनांक 02.08.2004 से पूर्व दिनांक 18.07.2003 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा State Level Expert Committee का गठन किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान मुकाम जयपुर पीठ द्वारा रिट याचिका एस बी सिविल रिट पैटीशन नं. 11153/2011 अनवान सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 में जोहड, नाला, तालाब, व नदी आदि के Catchment Areas की भूमि के आवंटन को अवैध माना गया है और catchment Areas को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:– Where ever the world Catchment has been mentioned, presently is should consider to mean the land of the river, poud., tributaries etc. from wherewater flows"

उक्त Expert Committee की रिपोर्ट में कहीं भी यह तथ्य वर्णित नहीं कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि बल्कि राजस्थान केनाल परियोजना वर्तमान नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना एरिया में ऐसा भी कोई क्षेत्र है जो कि Catchment Areas से प्रभावित हों यह उपधारणा है कि रेफरेन्स प्रार्थना में वर्णित कृषि भूमि Catchment Areas से प्रभावित कृषि भूमि नहीं होने के कारण भी रेफरेन्स प्रार्थना पत्र कतई गौर किये जाने योग्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि का उपयोग एवं अपभोग कभी भी किसी प्रकार से जलाशय यानि जोहड पायतन के लिए नहीं किया गया है। राजस्व अभिलेख में जोहड पायतन की भूमि दर्ज होने से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती कि वास्तव में ही अमुक भूमि का उपयोग जोहड पायतन के रूप में हुआ हो। प्रार्थी ने इस बाबत कोई ठोस साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण वर्ष 1961–62 के लगभग होने पर योजनाबद्ध तरीके से आबादी बनाई गई और आबादी में पहले मनुष्यों को पानी पीने के लिए पक्की डिगियों का निर्माण किया गया एवं पशुओं को पानी पीने के लिए अलग से चैनल का निर्माण किया गया। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में कभी कहीं कोई जोहड पायतन की जगह रहीं भी होगी तब नहरी पानी वर्ष 1964–65 के लगभग उपलब्ध होने पर जोहड पायतन की अन्यथा भी कोई आवश्यकता नहीं रही इसलिए Catchment Areas को किसी भी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रश्नगत भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार आवंटन हेतु प्रतिबन्धित नहीं थी और ना ही प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि का आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है तथा ना ही आवंटन निरस्त योग्य है। पूर्व में भी निवेदन किया जा चुका है और जबाव रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त कथनो में भी निवेदन किया जा रहा है कि कृषि भूमि का आवंटन नियम विरूद्ध होता तब प्रार्थी आवश्यक ही रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी सबूत पेश करता अथवा आवंटन पत्रावली को तलब करता। अतः सबूतो के बिना प्रार्थी का मौखिक कथन कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है बल्कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपधारणा प्रार्थी के विरूद्ध है। आवंटन राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत बने गये आवंटन नियम 1975 के नियमों के अन्तर्गत हुआ है। जो आज भी प्रभाव में है। राज्य सरकार द्वारा किसी भी Notification के द्वारा आवंटन नियमों में इस बाबत कोई भी संशोधन नहीं किया है और ना ही नियमों को निरस्त किया गया है। यदि वास्तव में ही इस भूमि का आवंटन विधि विरूद्ध हुआ है तब आवंटन नियम 1975 के नियम 23 में अपील का प्रावधान है इस विशिष्ट प्रावधान का उपयोग किये बिना प्रार्थी सीधे तौर पर रेफरेन्स पेश करने का अन्यथा भी विधि अधिकारी नहीं है। प्रश्नगत कृषि भूमि को प्रार्थी द्वारा जोहड पायतन की भूमि होना दर्ज किया गया है यदि वास्तव में ही यह भूमि जोहड पायतन की भूमि थी तब इस भूमि का वर्गीकरण परिवर्तित कर कृषि प्रयोजनार्थ किया जाता तब अवश्य ही समक्ष अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता अथवा राज्य सरकार द्वारा इसे जोहड पायतन के लिए Denotify किया गया होता। लेकिन प्रार्थी ने इस बाबत किसी भी सक्षम

अधिकारी का आदेश अथवा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये De-Notification को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया और ना ही इनका कोई विवरण दर्ज किया। प्रार्थी को अन्यथा भी रेफरेन्स पेश करने की अधिकारिता नहीं है। प्रार्थी ने रेफरेन्स पेश करने की अधिकारिता बाबत कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य रेफरेन्स प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया है। आवंटन नियमों का उल्लघंन किये जाने पर कई कृषकों के आवंटन जब आवंटन अधिकारी द्वारा 15–20 वर्षों बाद निरस्त कर दिये तब सम्बन्धित आवंटी ने अपना आवंटन बहाल करवाने के लिए पहले सम्बन्धित न्यायालयों के समक्ष अपना पक्ष पेश किया और अन्त में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी अपना पक्ष पेश किया, तब माननीय उच्चतम न्यायायल द्वारा यह निर्णित किया गया कि आवंटी का आवंटन Decade बीत जाने के उपरान्त निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है चूंकि यह कृषि भूमि आवंटी व उसके परिवार के जीवन यापन का साधन है जिसे कडी मेहनत कर उसने इस काबिल काश्त बनाया है इसी परिपेक्ष में अप्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि में कडी मेहनत कर व धन खर्च कर इसे काबिल काश्त बना कर इसकी आय से अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। यदि इस भूमि को निरस्त कर दिया जाता है तब अप्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार को इतने Decade बीत जाने के उपरान्त विस्थापित होना पडेगा और भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। अप्रार्थी को इस किस्म की अन्य कृषि भूमि उपलब्ध नहीं हो सकती और ना ही अप्रार्थी की हैसियत अन्य कृषि भूमि खरीद करने की है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत एवं मानवीय दृष्टिकोण के मध्यनजर भी रेफरेन्स प्रार्थना पत्र गौर किये जाने योग्य नहीं है, बल्कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जबाव रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन है कि रैफरेन्सधीन रकबा जोहड़ पायतन का होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवंटन का अधिकार सहायक उपनिवेशन आयुक्त एवं आवंटन अधिकारी घड़साना मुकाम अनूपगढ़ को नहीं था। अतः जैर रैफरेन्स आदेश दिनांक 21.12.1974 विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्व न्यायालय में रैफरेन्स पेश किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाव में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया गया।

बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

Power to call for record and proceeding and reference to state Government or Board- The Settlement Commissioner or the Directore of Land Records or Collector may call for and examine the reord of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings;

and, if he is of opinion that th proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement.

and the Board or the State Government, as the case may be, shall there upon pass such order as it thinks fit.

राज्य सरकार राजस्व (ग्रप–6) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.10(3) राज–6/2001–पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जपपुर की एकलपीठ द्वारा याचिका सं. 11153/11 सुओमोटो बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2012 की अनुपालना में निम्न निर्देश प्रसारित किये गये कि:–

1. 1955 में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कोई भी भूमि जो गैर मुमकिन नाला, तालाब, नदी, बाध अथवा पायतन उल्लेखित है, का आवंटन व नियमन सभी उद्धेश्यों (कृषि व गैर कृषि प्रयोजन) के लिए प्रतिबन्धित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

2. 1955 के पश्चात जितने भी आवंटन, उक्त प्रकार की भूमियों में जो नाला, नदी, तालाब, बांध या पायतन दर्ज रेकार्ड थे तथा भूमि वर्गीकरण परिवर्तन कर कृषि प्रयोजनार्थ अथवा अकृषि प्रयोजनार्थ कर दिये गये हैं, उन समस्त प्रकरणों में सक्षम न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यों सहित रेफरेन्स दर्ज करवा कर आवंटन निरस्त कराने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, घड़साना द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ है, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, सूची नं. 04 आदि दस्तावेजनानुसार प्रमाणित है कि प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी ओर आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी सुन्दरलाल के पक्ष में किया गया है, वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश तहसीलदार घड़साना को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि रैफरैंस माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक १६.१०.२५ को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

(अशोक सांगवा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
अनूपगढ़।